रबी मौसम 2021-22 में विभिन्न फसलों के बीज की अनुदानित दर पर उपलब्धता से संबंधित सूचना

सभी किसान भाइयों एवं बहनों को सूचित किया जाता है कि कृषि विभाग अन्तर्गत बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से रबी मौसम 2021–22 की विभिन्न योजनाओं में रबी फसलों के बीज अनुदानित दर पर वितरण करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

इच्छुक किसान अनुदानित दर पर विभिन्न रबी फसलों के बीज प्राप्त करने हेतु DBT Portal (https://dbtagriculture.bihar.gov.in) / BRBN Portal (brbn.bihar.gov.in) के बीज अनुदान/आवेदन लिंक पर **दलहन एवं तेलहन के लिए दिनांक 01 अगस्त से 20 अगस्त** तक तथा **गेहूँ एवं मक्का के लिए दिनांक 21 अगस्त से 20 सितम्बर, 2021** तक आवेदन कर सकते हैं। किसान सुविधा अनुसार किसी Android Mobile/Computer/ कॉमन सर्विस सेन्टर/वसुधा केन्द्र/साईबर कैफे के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने की अंतिम तिथि

दलहन एवं तेलहन के लिए
20.08.2021

गेहूँ एवं मक्का के लिए
20.09.2021

रबी 2021 में ऑनलाईन आवेदन हेतु विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध फसलों के बीज का अनुमानित मूल्य एवं अनुमान्य देय अनुदान दर तालिका

क्र0	फसल का नाम	बीज की कोटि	अनुमानित मूल्य...रू. प्रति कि0ग्रा0	योजना का नाम– State Plan		योजनाओं का नाम– NFSM, BGREI एवं State Plan			
				कार्यक्रम/घटक		कार्यक्रम/घटक			
				मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना	एकीकृत बीज ग्राम योजना	अनुदानित दर बीज वितरण (10 वर्ष से कम)	अनुदानित दर बीज वितरण (10 वर्ष से अधिक)	प्रत्यक्षण	अनुदान भुगतान की प्रक्रिया
1	गेहूँ	प्रमाणित	38.0	90%	मूल्य का 50%	मूल्य का 50%	15 रू0/कि0ग्रा0	100%	
		आधार	40.0						
2	चना	प्रमाणित	105.0	90%	मूल्य का 60%	मूल्य का 50%	25 रू0/कि0ग्रा0	100%	प्रत्यक्षण छोड़कर शेष सभी घटकों का बीज अनुदान काट कर किसान को मिलेगा।
		आधार	110.0						
3	मसूर	प्रमाणित	115.0	90%	मूल्य का 60%	मूल्य का 50%	25 रू0/कि0ग्रा0	100%	
		आधार	120.0						
4	मटर	प्रमाणित	115.0	-	-	मूल्य का 50%	25 रू0/कि0ग्रा0	100%	
5	राई/सरसों	प्रमाणित	132.0	-	-	40 रू0/कि0ग्रा0		100%	
6	तीसी	प्रमाणित	130.0	-	-	मूल्य का 50%		-	
7	मक्का	संकर	125.0	-	-	मूल्य का 50%		100%	
8	जौ	प्रमाणित	40.0	-	-	मूल्य का 50%		-	

- किसानों के घर तक बीज पहुँचाने के लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था है। ऑनलाईन आवेदन में होम डिलीवरी का विकल्प चयनित करने वाले किसानों के घर तक सशुल्क बीज पहुँचाया जायेगा। किसान को होम डिलीवरी में बीज आपूर्ति होने पर गेहूँ के लिए 2.00 रू0 एवं अन्य फसलों के लिए 5.00 रू0 प्रति कि.ग्रा. की दर से अलग से भुगतान करना होगा।
- किसानों का फसलवार बीज आवेदन पंचायत के संबंधित कृषि समन्वयक को स्वतः चली जायेगी। सुयोग्य आवेदक किसानों के चयनोपरान्त उनके निबंधित मोबाईल नं0 पर कृषि विभाग द्वारा OTP भेजा जायेगा। कृषि समन्वयक द्वारा बीज प्राप्ति स्थान के संबंध में सूचना आपको दी जायेगी। निर्दिष्ट बीज विक्रेता को अपना OTP बताकर अनुदान की राशि घटा कर शेष राशि का भुगतान कर बीज प्राप्त करेंगे।

PR No - 004210 (Agriculture)D. 2021-22

नोटः किसान अपने निकटतम कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी से सम्पर्क कर कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभ ले सकते हैं।